PRAYAS
JUVENILE AID CENTRE

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बाल यौन उत्पीड़न (POCSO) के अन्तर्गत पिड़ितो के लिए सही वातावरण का निर्माण

STOP CHILD ABUSE

PRAYAS JAC SOCIETY

59, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi - 110062 (INDIA)

Tele Fax No.:- 011 29956244, 29955505

Website: www.prayaschildren.org

POCSO ACT AND RULES की सहायक पुस्तिका

बच्चों का लैगिंक शोषण / यौन उत्पीड़न एवं POCSO केस में जिला में POCSO ACT के अनुसार सभी हितधारकों द्वारा अनूकुल वातावरण तैयार करवाना एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करने हेतू हितधारकों की कानून एवं नियमावली के अनुसार निम्नःहै–

1. (एस0जे0पी0यू0) विशेष पुलिस इकाई, स्थानिय पुलिस,महिला थाना
2. डी0एल0एस0ए0 (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
3. डी0सी0पी0यू0 (जिला बाल संरक्षण इकाई)
4. सी0डब्लू0सी0 (बाल कल्याण समिति)
5. स्पेशल पी0पी0 (POCSO COURT)
6. सिविल सर्जन
7. डी0एस0पी0 (मुख्यालय)
8. सर्पोट परशन (सहायक व्यक्ति)
9. स्वयंसेवी संस्थान्
10. मीडिया

बच्चों का लैगिंक शोषण / यौन उत्पीड़न के मामले में उपरोक्त हितधारकों द्वारा पीड़ितों के लिए सेवाए :-

1. त्वरित मुआवजा का निस्पादन सी0डब्लू0सी0 के द्वारा होना चाहिए।
2. पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 की प्रति सी0डब्लू0सी0 एवं स्पेशल न्यायालय को 24 धण्टे के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य।

नियम (7) के तहत सी0डब्लू0सी0 ,डी0एल0एस0ए0 को सूचना उपलब्ध करानी होगी ताकि पीड़ितो को कानूनी सहायता प्रदान किया जा सकें। बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2019 के नियम 05 के अनुसार पुलिस द्वारा डी0एल0एस0ए0 को सूचित कारना अनिवार्य है।

3. डी0सी0पी0यू0 द्वारा बालकों को अनुवादक, दूभाषिया, विशेष शिक्षक,विशेषज्ञ और

सहायक व्यक्ति को पीड़ितों को मदद पहुँचाने के लिए उपलब्ध कराना।
4. एस0जे0पी0यू0 द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कराना।
5. हितधारकों को नियमित प्रशिक्षण प्राप्त होना।
6. बालको के लिए सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराना।
7. फॉरेंसिक परीक्षण घटना के 96 घण्टे के अन्दर होना।

लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012

लैगिंक हमला,लैगिंक उत्पीड़न और अशलील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायलयो की सपना तथा उनसे संबंधित या अनुसंगिक विषयो के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अध्याय 5
मामलों की रिर्पोट करने के लिए प्रकिया

Image Source – New Indian Express (In Hindi)

धारा 19 अपराधों का रिर्पोट करना–उप धारा–(1) कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध की जाने की संभावना है या अपराध किया गया है वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा।

(क)–एस0जे0पी0यू0,या जे0जे0एक्ट अधिनियम के धारा–107 (बी)
(ख)–स्थानीय पुलिस

Image Source: Times of India

उप धारा–2. (क) ऐन्ट्री संख्या के साथ सूचना अंकित की जाऐगी। सूचना पुलिस डायरी में अंकित की जाऐगी एवं सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाऐगी। रिर्पोट बालक द्वारा की गई है तो उसे सरल भाषा में अभिलिखित की जाऐगी।

उप धारा–5. बालक जिसके विरूद्व अपराध किया गया है,उसे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है तब उस कारणो को अंकित करने के पश्चात् रिर्पोट के 24 घण्टे के भीतर तुरंत ऐसी देखरेख संरक्षण में (संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल) रखने के लिए व्यवस्था की जाऐगी।

उप धारा–6. विशेष पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस अनावश्यक के बिना परंतु 24 घण्टे के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायलय (जहॉ कोई विशेष न्यायालय नही बनी हो वहॉ सत्र/सेशन न्यायालय को रिर्पोट करेगी। जिसके अंतर्गत बालक की देखरेख के लिए आवश्यकता और इस संदर्भ में किये गये उपाय भी है।

धारा–20 मामले को रिर्पोट करने के लिए मिडिया स्टुडियों और फोटो चित्रण की बाध्यता–स्थानीय पुलिस, एस0जे0पी0यू0 को रिर्पोट करना अनिवार्य है। धारा–21 मामले की रिर्पोट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने पर दण्ड–कोइ भी व्यक्ति अपराध के किये जाने की रिर्पोट करने या ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है उसे 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनो से दंडित किया जाऐगा।

धारा–22 मिथ्या सूचना के लिए दण्ड–उप धारा–(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्व अपमानित करने धमकाने बदनाम करने के आशय से गलत रिर्पोट करता है या सूचना उपलब्ध कराता है ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनो से दंडित किया जाऐगा। उप धारा–(2)किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या सूचना या परिवाद किया गया हो ऐसे बालक पर कोई दण्ड अधिरोहित नही किया जाऐगा।

धारा–23 मीडिया के लिए प्रकिया–उप धारा 1,2,3 का दुरूपयोग करने पर 1 वर्ष तक की सजा जुर्माना एवं दोनो से दंडित किया जाऐगा।

अध्याय 6
बालक के कथन का अभिलिखित करने के लिए प्रकिया

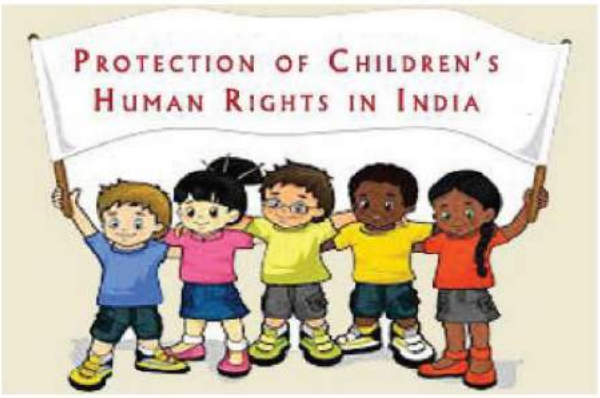

Image Source: Childrens Human Rights in India

धारा–24 बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना–उप धारा–(1) बालक के कथन को बालक के निवास स्थान पर या ऐसे स्थान पर जहॉ बालक सहज महसूस करें। वहॉ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाऐगा।

उप धारा–(2) बालक के कथन को अभिलिखित किये जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नही होगें।

उप धारा–(3) बालक का परिक्षण करते समय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी प्रकार से बालक अभियुक्त के संर्पक में न आये।

उप धारा–(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस स्टेशन में रखा नही जाऐगा।

उप धारा–(5) पुलिस अधिकारी बालक की पहचान पब्लिक मिडिया से संरक्षित रखेगें।

धारा–25 (2) मजिस्ट्रेट बालक और उसके अविभावक या प्रतिनिधियों को दस्तावेज की एक प्रति पुलिस द्वारा अंतिम रिर्पोट फाईल किये जाने पर प्रदान करेगी।

धारा–27 बालक की चिकित्सीय परीक्षा–उत्पीड़ित बालक जिसके विरूद्व इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है उनका चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रथम सूचना या शिकायत की प्रक्रिया अनिवार्य नही हैं। चिकित्सीय जॉच CrPCds

धारा 164 (क) के मुताविक किया जाऐगा कोई भी अस्पातल में बिना FIR के पीड़ित का ईलाज।

धारा–34 बालक के द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दशा में प्रक्रिया–इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है ऐसे बालक पर किशोर न्याय अधिनियम (जे0जे0एक्ट),के उपबंधो के अधीन कार्यवाही की जाऐगी।

अध्याय 9

धारा–39 विशेषज्ञ,आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देशन–राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति जिसके पास मनोविज्ञान,समाजिक कार्य,शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान है बालक को सहायता करने के लिए मार्गनिर्देष तैयार करेगी।

धारा–40 अधिवक्ता की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार–बालक का अविभावक या संरक्षक किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक अधिवक्ता की सहायता लेने के लिए हकदार होगें। परन्तु विधिक अधिवक्ता का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण (DLSA) उन्हें वकील उपलब्ध करवायेगें।

धारा–43 अधिनियम के बारे में लोग जागरूकता–(क) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगें की जनता, बालकों,माता–पिता,संरक्षकों को इस अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए मिडिया जिसके अन्तर्गत रेडिया,टेलिविजन,प्रिन्ट मिडिया सम्मिलित है के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाऐगा।

(ख) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित है को अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

नियम–

Image Source: UNICEF Thailand

4 बालक की देखभाल एवं संरक्षण के बारे में प्रक्रिया (एस0जे0पी0यू एवं सी0डब्लू0सी) एस0जे0पी0यू प्रथम सूचना रिर्पोट रजिस्टीकृत करने के 24 घण्टे के भीतर प्रारूप ख पूरा करेगें तथा इसे सी0डब्लू0सी को प्रस्तुत करेगें। एस0जे0पी0यू0 प्रारूप क एवं ख को भरकर माता–पिता /अविभावक/जिनपर बच्चों का भरोसा है को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

5. दूभाषिया,अनुवादक विशेषज्ञ विशेष शिक्षक और सहायक व्यक्ति–प्रत्येक जिला में अधिनियम के प्रयोजन के लिए डी0सी0पी0यू0 आवश्यक होने पर इन्हें उपलब्ध करायेगें। सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन या बालगृह या आश्रयगृह का अधिकारी या डी0सी0पी0यू0 द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है।

6.चिकित्सीय सहायता एवं देखरेख–स्थानीय पुलिस 24 धण्टें के भीतर बालक को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराऐगी।

7. विधिक सहायता और नदद के लिए सी0डब्लू0सी0 जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सिफारिश करेगा।

8. विशेष राहत–सी0डब्लू0सी0 द्वारा किषोर न्याय निधि,डी0सी0पी0यू0 एवं डी0एल0एस0 से आकलिन रकम के तुरंत भुगतान के लिए सिफारिश कर सकते है।

9. मुआवजा–

1. अंतरिम मुआवजा विशेष न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया जाऐगा।

2.दोशी ठहराये जाता है,अभियुक्त निर्दोष करार दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है या अभियुक्त का पता नही चल पाता या उसकी पहचान नही हो पाती और विशेष न्यायलय के विचार में अपराध के कारण बालक को हानि या चोट पहुँची हो तो विशेष न्यायलय स्वंय या बालक द्वारा या उसके लिए दायर आवेदन पर मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है।

10. जुर्माना अधिरोपण और उसके भुगतान की प्रकिया–

विशेष न्यायलय द्वारा अधिनियम के अधिरोपित जुर्माना का रकम जिसे पिड़ित को भुगतान किया जाना है वास्तव में बालक को ही भुगतान हो इसको सुनिश्चित करने के लिए सी0डब्लू0सी0एवं डी0एल0एस0 से समन्वय करेगा।

प्रारूप क
सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन–शोषण पीड़ित बालकों का अधिकार

1. एफ0आई0आर0 की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल/पी0एच0सी0,आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परिक्षण प्राप्त करना।

4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकार्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करें।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहॉ बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो,वहॉ से बाल देखरेख संस्थान में स्थानान्तरित होना।
7. सी0डब्लू0सी0 की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुक्द्दमें के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहॉ आवश्यक हो,दूभाशिये या अनुवादक प्राप्त करना।
10. अक्षम बालक या अन्य विशिष्ठ बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना ।
11. निःशुल्क विधिक सहायता पाना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना।
13. शिक्षा जारी रखना।

प्रारूप ख

क्रम संख्या	मापदंड	टिप्पणी
1.	पिड़ित की उम्र	
2.	अपराधी से बालक का संबंध	
3.	अपराध का प्रकार एवं उसकी गम्भीरता	
4.	बालक की चोट की गंभीरता,मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5.	क्या बच्चा विकलांग (शरीरिक,मानसिक या बौद्विक) है	
6.	पीड़ित के माता–पिता की आर्थिक स्थिति ,बालक के परिवार के सदस्यों की कूल संख्या,बालक के माता–पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारें में विवरण।	
7.	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान मामले की घटना के कारण किसी चिकित्सीय उपचार से गुजर रहा है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हैं।	
8.	क्या मानसिक आघात,शरीरिक चोट चिकित्सा उपचार,जॉच और परिक्षण या अन्य कारणों से स्कूल में अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9.	क्या दुर्व्यवहार एक अलग थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था?	
10.	क्या पीड़ित के माता–पिता का किसी प्रकार का ईलाज चल रहा है या उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है?	
11.	अगर उपलब्ध हो,तो बालक का आधार संख्या	

प्रस्तावना

POCSO अधिनियम के अनुसार हितधारको का बालक के न्याय एवं पुर्नवास हेतु कर्तव्य

स्वंय सेवी संस्थान का कर्तव्य

01. परामर्श।
02. सहायक व्यक्ति (164 के पूर्व पीड़ितो के लिए परामर्श)।
03. जागरूकता।
04. समाजिक कार्य –परिवार का परामर्श,गवाहो का परामर्श।
05. पीड़ित को न्यायालय तक लाना,पीड़ितो को मुफ्त कानूनी सलाह एवं कानूनी सहायता।
06. बाल कल्याण समिति में पेश करवाना।
07. बच्चों को मुख्य धारा में लाना।
08. विधि विरूध बालक– जो बालक च्ब्ै केस में सलिंप्त पाए जाते है उनका परामर्श, पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण।
09. मुवावजा का लाभ।
10. हितधारको का समय–समय पर प्रशिक्षण।

Image Source: Childrens Human Rights in India

PRAYAS JAC SOCIETY

59, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi - 110062 (INDIA)

Tele Fax No.:- 011 29956244, 29955505

Website: www.prayaschildren.org